

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION. DUMRAON**

**WORK ALLOTTED BY CHIEF. ENG.-1, R.W.D., BIHAR, PATNA, VIDE HIS
LETTER NO. 640 W.E., Dated - 16.07.2025**

(HEAD- MMGSY (AWSESH-SC))

Block- Brahampur

28.71 % Below

NAME OF PKG :-

MMGSY-(AWSESH-SC)-Dumraon-06

Sl. No.	Name of Road	Length (km)	Ag. Value of Const. Cost	Ag. Value of Maint. Cost	Ag. Value of Total Cost
1.	Mohni Yadav Dera Ramdiha to Prathmik Vidyalay Dhobi Tola Bhadwar.	6.500	46742678	6023063	52765741

Name of agency:-

Gouri Shankar Upadhyay

Hanuman Mandir, Mitralok Colony,

Buxar, Distt.- Buxar-802103

Mob. No. - 9234818431

Email id- gouri3434@gmail.com

C. COPY

[Signature]
15/09/25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Dumraon
15/09/25

Agreement No.14.....CMBD of 2025-26

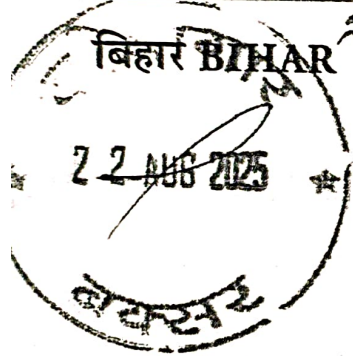
Date of Start work26-07-25.....

Date of Complete work. 25-07-26

Registration No.:- RWD, BIHAR PATNA-1210412/21 Class-I

[Signature]
Signature of the Contractor.

[Signature]
15/09/25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Dumraon
15/09/25



गौरी शंकर उपाध्याय
हनुमान मंदिर, मित्रालोक कॉलोनी, बुखार
पिन-802103
मोबा-976075
फोन-5200

AGREEMENT

This Agreement, made the 15th day of Sept 2025
Between Executive Engineer R.W.D Work Division Dumraon ("The Employer") of the one part, Gouri Shankar Upadhyay, Hanuman Mandir, Mitralok Colony, Buxar, Distt.- Buxar-PIN 802103 [Name & Address of Contractor] ("The Contractor") of the other part. Whereas the Employer is desirous that the contractor execute Out put and Performance Based Rural Road contract for the Package No. MMGSY (AWSSESH -SC) DUMRAON-06 "CONSTRUCTION AND FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD FROM :-

Sl. No.	Package/Project Number	Road Name	Length (Km)
1.	MMGSY (AWSSESH-SC)-DUMRAON-06	MOHNI YADAV DERA RAMDIHA TO PRATHMIK VIDYALAY DHOBI TOLA BHADWAR	6.500

Rupees.- **5,27,65741** (Five Crore Twenty seven Lakh sixty five Thousand Seven Hundred Forty one) only

G. S. Upadhyay


Executive Engineer
R.W.D (W) Division, Dumraon
15/09/25

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH and the Parties hereto agree to follows:-

1. In this Agreement, words and expression shall have same meanings as are respectively assigned to them in the General Conditions hereinafter to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the Payments to be made by the E/I to the Contractor as herein after mentioned, the Contractor hereby covenants with the E/I to execute and complete the Construction works & Routine Maintenance and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The E/I hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying the defects wherein the contract price or such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, viz
 - (i) Letter of Acceptance;
 - (ii) Contractor's Bid;
 - (iii) Section VI-General Conditions
 - (iv) Section VII-Particular Conditions
 - (v) Section V- Technical Specifications (General and Supplementary Technical Specifications)
 - (vi) Section IV-Drawings
 - (vii) Section IV-works Schedule/BOQ
 - (viii) Quality Plan for Output and Performance Based Road Contract as per Clause A14.I of the Technical Specifications
 - (ix) Appendices to the Contract
 - (x) Addenda issued during bid period
 - (xi) Any other relevant documents listed in the Particular Conditions together with any post bid correspondence.

In witness whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed the and year first before written

The Common seal of

Was here unto affixed in the presence of:

Signed, sealed and delivered by the said.....

in the presence of:

Binding Signature of E/I.....

Binding Signature of Contractor

G. S. Choudhary

G. S. Choudhary

[Signature]
15/09/15
Executive Engineer
R.W.D (W) Division, Dumraon
[Signature]
15/09/15

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल आरा

पत्रांक 640/अनु०/आरा, दिनांक 16/07/2025

प्रेषक,
ई० प्रवीण कुमार सिन्हा
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, डुमराँव।

विषय :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव के अधीन शीर्ष MMGSY (AWSESH-SC) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-MMGSY-(AWSESH-SC)-Dumraon-06 (टेन्डर आई० डी०-140919) का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख-रखाव कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-1207 दिनांक-15.07.2025 एवं विभागीय पत्रांक-1683 दिनांक-14.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-1207 दिनांक-15.07.2025 के आलोक में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव के अधीन शीर्ष MMGSY (AWSESH-SC) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-MMGSY-(AWSESH-SC)-Dumraon-06 (टेन्डर आई० डी०-140919) का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख-रखाव कार्य का सफल न्यूनतम दर निविदाकार Gouri Shankar Upadhyay (बीड आई०डी०-618026) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -28.71% (अठाईस दशमलव सात एक) प्रतिशत कम पर अर्थात् रू० 5,27,65,741.00 (पाँच करोड़ सत्ताईस लाख पैसठ हजार सात सौ एकतालीस रुपये) मात्र पर निम्न शर्तों के साथ कार्य आवंटित किया जाता है। इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1683 दिनांक-14.07.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता अग्रधन का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- कार्य का निष्पादन MMGSY (AWSESH) योजना की मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जायेगा।
- निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
- संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित बैंक गारंटी/एन०एस०सी० आदि का सत्यापन संबंधित बैंक/डाकघर से करा कर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित कर संधारित किया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
- एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
- कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इनमें कमी पायी जाती है तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
- इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे की इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

Executive Engineer
R.W.D (W) Division, Dumraon
15/07/25

G. S. Upadhyay

10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।
12. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप, निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाय।
13. कार्य सभाप्ति की अवधि एन0आई0टी0 के अनुसार होगी।
14. सफल संवेदक के साथ शीघ्रताशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी वांछित कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
15. इस कार्य का व्यय शीर्ष MMSY (AWSESH) योजनान्तर्गत राशि से विकलित होगा।
16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप मुख्य अभियंता-1 को उपलब्ध कराई जाय एवं ओन लाईन मोनेटरिंग हेतु विभाग के उपलब्ध वेबसाइट पर प्रविष्टि की जाय।
17. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः कर लेंगे।
18. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जाएंगे।
19. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा।
20. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।
21. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नहीं है।
22. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।
23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की शुद्धता की जाँच कर लेंगे। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे। तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे साथ ही यंत्र संयंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी अश्वरथ हो लेंगे।
24. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।
25. संबंधित कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व वित्तीय बीड एवं कार्य आवंटन आदेश की दर एवं राशि की शुद्धता की जाँच कर लेंगे एवं त्रुटि होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
26. संबंधित कार्यपालक अभियंता एस0बी0डी0/एम0बी0डी0/सी0एम0बी0डी0 के प्रावधानों के अनुरूप संवेदक से एकरारनामा करने के पूर्व वांछित परफारमेन्स गारंटी की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे जो एकरारनामा का भाग होगा।
27. विभागीय पत्रांक-14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।
28. LOA निर्गत करने में विभागीय पत्रांक-6452/पटना दिनांक-13.12.2019 में निहित निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0: - यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा
16/01/25

T.S. Upadhyay

Executive Engineer
R.W.D (W) Division, Dumraon

15/09/25

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल आरा

पत्रांक 640.....अनु०/आरा, दिनांक 16/07/2025

प्रेषक, ई० प्रवीण कुमार सिन्हा
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

सेवा में कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, डुमराँव।

विषय :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डुमराँव के अधीन शीर्ष MMGSY (AWSESH-SC) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-MMGSY-(AWSESH-SC)-Dumraon-06 (टेन्डर आई० डी०-140919) का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख-रखाव कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-1207 दिनांक-15.07.2025 एवं विभागीय पत्रांक-1683 दिनांक-14.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-1207 दिनांक-15.07.2025 के आलोक में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डुमराँव के अधीन शीर्ष MMGSY (AWSESH-SC) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-MMGSY-(AWSESH-SC)-Dumraon-06 (टेन्डर आई० डी०-140919) का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख-रखाव कार्य का सफल न्यूनतम दर निविदाकार Gouri Shankar Upadhyay (बीड आई०डी०-618026) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -28.71% (अठाईस दशमलव सात एक) प्रतिशत कम पर अर्थात् रू० 5,27,65,741.00 (पाँच करोड़ सत्ताईस लाख पैसठ हजार सात सौ एकतालीस रुपये) मात्र पर निम्न शर्तों के साथ कार्य आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1683 दिनांक-14.07.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता अग्रधन का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. कार्य का निष्पादन MMGSY (AWSESH) योजना की मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जायेगा।
3. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
4. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित बैंक गारंटी/एन०एस०सी० आदि का सत्यापन संबंधित बैंक/डाकघर से करा कर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित कर संधारित किया जायेगा।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
6. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इनमें कमी पायी जाती है तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे की इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

G.S. Upadhyay

Executive Engineer
R.W.D (W) Division, Dumraon

15/07/25

10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
11. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे ।
12. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप, निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाय ।
13. कार्य समाप्ति की अवधि एन0आई0टी0 के अनुसार होगी ।
14. सफल संवेदक के साथ शीघ्रताशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा । एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी वांछित कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ताकि उचित कार्रवाई की जा सके ।
15. इस कार्य का व्यय शीर्ष MMGSY (AWSESH) योजनान्तर्गत राशि से विकलित होगा ।
16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप मुख्य अभियंता-1 को उपलब्ध कराई जाय एवं ओन लाईन मोनेटरींग हेतु विभाग के उपलब्ध वेबसाइट पर प्रविष्टि की जाय ।
17. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः कर लेंगे ।
18. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जाएंगे ।
19. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तों एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा ।
20. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है ।
21. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय । एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नहीं है ।
22. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय ।
23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की शुद्धता की जाँच कर लेंगे । किसी प्रकार की भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे । तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे साथ ही यंत्र संयंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी अश्वस्थ हो लेंगे ।
24. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है ।
25. संबंधित कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व वित्तीय बीड एवं कार्य आवंटन आदेश की दर एवं राशि की शुद्धता की जाँच कर लेंगे एवं त्रुटि होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे ।
26. संबंधित कार्यपालक अभियंता एस0बी0डी0/एम0बी0डी0/सी0एम0बी0डी0 के प्रावधानों के अनुरूप संवेदक से एकरारनामा करने के पूर्व वांछित परफार्मेन्स गारंटी की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे जो एकरारनामा का भाग होगा ।
27. विभागीय पत्रांक-14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे । कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे ।
28. LOA निर्गत करने में विभागीय पत्रांक-6452/पटना दिनांक-13.12.2019 में निहित निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय ।

अनु0: - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा
16/01/21

G.S. Upadhyay

Executive Engineer
R.W.D (W) Division, Dumrao

12/01/21

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-01/प्रा0-04-147/25

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव के अधीन शीर्ष MMGSY (Awsesh) अन्तर्गत स्वीकृत कुल 01 (एक) अदद योजनाओं का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख-रखाव कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 383 अनु0 दिनांक 12.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 01 (एक) अदद पथ का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि क्रमशः परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल / पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा ववैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

G.S. Upadhyay

Executive Engineer
R.W.D.(W) Division, Dumraon

12/05/25

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव के अधीन शीर्ष MMGSY (Awsesh) अन्तर्गत प्राथमिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:-

क्र.सं.	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (निर्माण, अनुरक्षण आकस्मिक एवं प्रशासनिक कार्य) (लाख में)	राकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण, अनुरक्षण आकस्मिक एवं प्रशासनिक कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block:-Barhampur, Mohni Yadav Dera, Ramdiha To Prathmik Vidyalay Dhobi Tola Bhadwar	6.500	Letter NO-807 Date-28.04.2025	759.857	758.628

अनु०- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पटना, दिनांक:- 15.05.2025

ज्ञापांक:- 670-314.

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Executive Engineer
R.W.D (W) Division, Dumraon

G.S. Upadhyay

15/05/25

योजना का नाम:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।

प्रशासनिक स्वीकृति:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

विवरण

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चि करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार-प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-
प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्शन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारियों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एवं स्वीकृत मर्दों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मर्दों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रेडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आवश्यक हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।

T.S. Upadhyay

Executive Engineer
R.W.D (W) Division, Dumraon

15/05/29

17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से नकली भी तरह से सीधे MMSY (Awsesh) की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय-समय निर्गत विहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुवुल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-11 के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देंगे।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।
30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण सामग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्ट्स इत्यादि) की बुलाई निकटतम अनुमोदित खादान से ही देय होगी।
31. सामग्रियों की बुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

15/05/15

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

T.S. Upadhyay

Executive Engineer
R.W.D.(W) Division, Dumraon

15/05/15

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

/पटना, दिनांक-28/4/25

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25 - 807

प्रेषक,

संजय कुमार, भाउपुरी
संयुक्त सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0108 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष), विपन्न कोड संख्या-37-4515-00-789-0108 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रत्येक योजना के निर्माण (नये सतहीकरण कार्य सहित) एवं छः वर्षीय सतत अनुरक्षण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-15 में अंकित राशि की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाराज,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष-अनुसूचित जाति) अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 17 (सतरह) अर्द्ध योजनाओं के निर्माण (नये सतहीकरण कार्य सहित) एवं छः वर्षीय सतत अनुरक्षण कार्य के लिए निम्न तालिका के स्तम्भ-15 में अंकित राशि की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है:-

Sl. No.	Matrilineal Survey ID	District	Division	Block	Start Point Name	End Point Name	Category	Population	Length (in Km)	Construction and Surface Renewal Amount (in Lakh)	Minor Works Amount (in Lakh)	Administrative and Contingency Amount (in Lakh)	Private Land Cost (in Lakh)	Administrative Approval Amount (in Lakh)
1	8690	Buxar	Dumraon	Budhwar	Mehta Yashwanth Das, Ramcharan	Prachin Vidyut Dohi Tala Budhwar	SC	111	6.300	633.623	87.760	12.474	0.000	759.857
			Dumraon Total						6.300	633.623	87.760	12.474	0.000	759.857
1	9642	Patna	Patna	Sampatnagar	Purna Road Near Calcutta Assam Road Opposite Side To Karampur Bhabing Sampatnagar Chakraborty	Man Singh Tala	SC	210	3.830	424.132	54.395	12.164	66.428	557.319
			Patna Total						3.830	424.132	54.395	12.164	66.428	557.319
1	53157	Kaimur	Bhabua	Adampur	Lohri Chaurahani	Pachanah	SC	285	5.500	492.510	51.340	11.043	0.000	557.893
2	53451	Kaimur	Bhabua	Adampur	Lohri Kauli Dohi Trambhoni	Dumraon ST Tala	SC	260	4.440	543.710	42.849	13.431	0.000	602.010
			Bhabua Total						9.940	1036.220	94.189	24.474	0.000	1159.903
1	77890	Patna	Dohri	Dohri	Dohri Main Road Hachalpur Pali	Purnea Kala	SC	523	8.900	831.640	111.247	24.938	0.000	1024.863
			Dohri Total						8.900	831.640	111.247	24.938	0.000	1024.863
1	82436	Buxar	Buxar-I	Shantilalpur	Karampur Primary School	Pahar Khajuri	SC	400	1.000	319.310	43.020	11.770	0.000	378.990
			Buxar-I Total						1.000	319.310	43.020	11.770	0.000	378.990
1	85738	Bhagalpur	Nargada	Bilpur	Dumraon MUGSY Road	Kaharua Bagmati Ardh	SC	2000	2.343	990.714	111.843	27.743	0.000	1130.344
			Nargada Total						2.343	990.714	111.843	27.743	0.000	1130.344

Executive Engineer
R.W.D (W) Division, Dumraon

P. S. Upadhyay

15/04/25

- II. कार्यपालक अभियंता (PIU) का दायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
 - III. इन योजनाओं के निर्माण एवं नये सतहीकरण कार्य (Road Edge Marking सहित) का भुगतान योजना शीर्ष-4515 एवं सतत अनुरक्षण कार्य की राशि गैर योजना मद शीर्ष-3054 से भारित किया जायेगा।
 - IV. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - V. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जायेगा।
 - VI. कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
 - VII. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 05 (पाँच) तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
 - VIII. इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
 - IX. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - X. स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि MIS पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
 - XI. संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है एवं पूर्व में इन पथों की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है।
 - XII. स्वीकृत योजनाओं की निविदा/पुनर्निविदा ई-निविदा के माध्यम से मुख्यालय स्तर द्वारा करायी जायेगी।
 - XIII. स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के लिए निर्गत संकल्प एवं मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।
 - XIV. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से Road Safety and Social & Enviornmental से संबंधित बिन्दुओं का नियमानुसार प्रावधान रखते हुए प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता की होगी।
 - XV. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त योजनाओं के निर्माण एवं नये सतहीकरण कार्य (Road Edge Marking सहित) का वहन योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0108 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष), जिसका विपन्न कोड संख्या-37-4515-00-789-0108 है, सतत अनुरक्षण कार्य की राशि का वहन गैर योजना मद शीर्ष-3054-सड़क तथा सेतु-उप मुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़क-लघु शीर्ष-105-रख रखाव तथा मरम्मत-उप शीर्ष-0001-ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय, जिसका विपन्न कोड संख्या-37-3054041050001 है एवं भूमि अधिग्रहण/सतत लीज की



T.S. Chaudhary

Executive Engineer
Road & Water Division, Dumraon
10/12/25

राशि का वहन योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष 103-ग्राम विकास-उप शीर्ष-0101-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (0101-33-02 मुआवजा) जिसका विपत्र कोड संख्या-37-4515001030101 है, के लिए प्राप्त उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

- (क) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष-अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
- (ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-98 वि(2), दिनांक-03.01.2008 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक 03.12.2024 में निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों को आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
- (ग) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
3. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय. मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 28.04.2025 को संचिका संख्या:- BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25 के पृष्ठ-9 /टि० पर प्राप्त है।
4. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या-12888 (वि०) दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या:- BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25 के पृष्ठ-9 /टि० पर दिनांक:- 28.04.2025 को विभागीय अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या:- BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25 के पृष्ठ संख्या:- 9 /टि० पर दिनांक:- 28.04.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(8)

28/4/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक: BRRDA(HQ)-MMGSY-153/25 - 807

/पटना, दिनांक-28/4/25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(8)

28/4/25

सरकार के संयुक्त सचिव

T.S. Chakraborty

Executive Engineer
R.W.D. Division, Dumraon

ANNEXURE - "B"
GOVERNMENT OF BIHAR
RURAL WORKS DEPARTMENT
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Old Registration	New Registration
Registration No :- NA	Registration No : 1210412
Class :- NA	Class : Class 1

Gouri Shankar Upadhyay

S/O: Ram Niraj Upadhyay, Hanuman Mandir, Mitralok Colony, Buxar Bihar
Pincode: 802103



Is hereby registered in Class 1 for the period from date 24-Mar-2021 to 23-Mar-2026 As Contractor of Rural Works Department.

24-03-2021 12:03:00

Signature Of Applicant

G.S. Upadhyay

This Document is Digitally
Signed/Need no Signature

G.S. Upadhyay



15/174

Government of India
Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 10ACQPU0332D1Z1

1	Legal Name	GOURI SHANKAR UPADHYAY			
2	Trade Name, if any	GOURI SHANKAR UPADHYAY			
3	Constitution of Business	Proprietorship			
4	Address of Principal Place of Business	HANUMAN MANDIR, MITRALOK COLONY, PANDEYPATTI, BUXAR, Buxar, Bihar, 802103			
5	Date of Liability	01/07/2017			
6	Period of Validity	From	01/07/2017	To	NA
7	Type of Registration	Regular			
8	Particulars of Approving Authority				
Signature					
Name					
Designation					
Jurisdictional Office					
9. Date of issue of Certificate		23/09/2017			
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State					

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the deemed approval of the application for registration

G.S. Upadhyay

G.S. Upadhyay

26/174

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

GOURI SHANKAR UPADHYAY

RAM NIWAJ UPADHYAY

21/01/1984
Permanent Account Number
ACQPU0332D

G.S. Upadhyay
Signature

09072017

G.S. Upadhyay

G.S. Upadhyay



PROVIDENT FUND CODE NUMBER INTIMATION LETTER

No : 10000196975PAT

Date : 02/11/2018

To,

GOURI SHANKAR UPADHYAY
Proprietor
Gouri Shankar Upadhyay
Na Hanuman Mandir Mitra Lok Colony
Buxar Pandey Patti Bihar BUXAR
BIHAR - 802103

Sub Allotment of Code Number to establishment M/s Gouri Shankar Upadhyay under Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952-regarding.

Sir/Madam ,

Based on the information submitted online by you, your establishment is registered with Employees' Provident Fund Organisation with the following code number

Code Number : BRPAT1808776000

This code number is allotted based on the following declarations by you:

1. Name of Establishment : Gouri Shankar Upadhyay
2. PAN of Establishment : ACQPU0332D
3. Date on which employment strength crossed 19 : 02/11/2018
4. Section under which covered : 0000001(4)
5. Primary Activity : BUILDING AND CONSTRUCTION INDUSTRY
6. Ownership Type : PROPRIETORY FIRMS
7. The address proof of the establishment is : - Any license/certificate/number issued by any Govt. authority

G.S. Upadhyay

G.S. Upadhyay



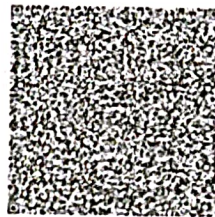
भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 4045/08502/01751

To

गौरी शंकर उपाध्याय
Gouri Shankar Upadhyay
S/O: Ram Niwaj Upadhyay
Hanuman mandir
Mitra lok colony
Buxar
Buxar Bihar - 802103
9234818431



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

8730 9470 1196

VID : 9114 8188 1275 0201

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



गौरी शंकर उपाध्याय
Gouri Shankar Upadhyay
जन्म तिथि/DOB: 21/01/1984
पुरुष/ MALE

8730 9470 1196

VID : 9114 8188 1275 0201

मेरा आधार, मेरी पहचान



Government of India



सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- सुरक्षित क्यूआर कोड/ऑफलाइन एकराएमएल/ऑनलाइन प्रमाणीकरण का उपयोग करके पहचान सत्यापित करें।
- आधार के सभी रूप जैसे आधार पत्र, पीवीसी कार्ड, ई-आधार और एम-आधार समान रूप से मान्य हैं। 12 अंकों की आधार संख्या के स्थान पर आभासी (वर्चुअल) आधार पहचान (VID) का भी उपयोग किया जा सकता है।
- 10 साल में कम से कम एक बार आधार अपडेट जरूर करें।
- आधार आपको विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं/सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्मार्टफोन पर mAadhaar ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स को लॉक/अनलॉक करने की विशेषता का उपयोग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करें।
- आधार (पत्र/ नंबर) चाहने वाली संस्थाओं को उचित सहमति लेने के लिए बाध्य किया गया है।
- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- Aadhaar is unique and secure.
- Verify identity using secure QR code/offline XML/online Authentication.
- All forms of Aadhaar like Aadhaar letter, PVC Cards, eAadhaar and mAadhaar are equally valid. Virtual Aadhaar Identity (VID) can also be used in place of 12 digit Aadhaar number.
- Update Aadhaar at least once in 10 years.
- Aadhaar helps you avail various Government and Non- Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app on smart phones to avail Aadhaar Services.
- Use the feature of lock/unlock Aadhaar/biometrics to ensure security.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek due consent.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

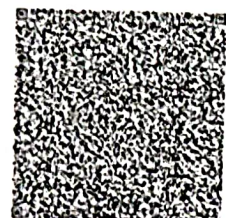


पता:

आपका: राम निवाज उपाध्याय, हनुमान मंदिर, मित्रलोक
कालोनी, बुखार, बुखार,
बिहार - 802103

Address:

S/O: Ram Niwaj Upadhyay, Hanuman mandir,
Mitra lok colony, Buxar, Buxar,
Bihar - 802103



8730 9470 1196

VID : 9114 8188 1275 0201



1047



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

G.S. Upadhyay

G.S. Upadhyay

GOVERNMENT OF BIHAR
RURAL WORKS DEPARTMENT
Office of the Engineer-in-Chief,
Rural Works Department, Bihar
5th floor, Visvesvaraya Bhawan, Nehru Path, Patna-800015

DETAILED NOTICE INVITING TENDER (through e-procurement mode only)
<http://pmgsytendersbih.gov.in>

for Construction and 06 year Routine Maintenance work (output and performance based) for Rural Road/Bridge under component of Mukhya Mantri Gram Sampark Yojana (AWSESH-SC).

Notice Inviting Tender (No.-RWD/MMGSY(AWSESH-SC)/HO/ET/2025-26/01)

1. Designation and Address of the Advertiser : Engineer-in-chief,
Rural Works Department, Govt. of Bihar
2. Date of Notice Inviting Tender : 02.05.2025
3. Period for download of Tender Document : From 19.05.2025 to 28.05.2025 up to 1500 hrs
4. Date, Time & Place of Pre-Bid meeting : Date 20.05.2025 at Concerned office of SE from 1100 hrs
5. Last Date & Time for uploading tender documents by bidder : Date 28.05.2025 till 1500 hrs.
<http://pmgsytendersbih.gov.in>
6. Date and time of opening of Technical Bid : Date 28.05.2025 Time 1530 hrs.
7. (i) Bid Security (EMD) and cost of BOQ shall be submitted Online. No other forms of Earnest Money (Bid Security) and cost of BOQ will be accepted. The Earnest Money deposited by the non-responsive bidder will be automatically refunded. In case the bid of non-responsive bidder is reconsidered whose EMD has been refunded automatically, will be collected and refunded manually in the shape of Fixed Deposit Receipt.
(ii) Bidders are required to upload an Affidavit regarding correctness of Information furnished with bid document. Original Affidavit regarding correctness of Information furnished with Bid document shall be submitted at the time of signing of agreement.
8. The Engineer-in-chief-cum-Additional Commissioner-cum-Special Secretary / Engineer-in-chief, Rural Works Department on behalf of Governor of Bihar invites bids for the works detailed below.

Project Scope & Duration:

- I. To undertake Construction and 06 years Routine Maintenance work (output and performance based) for Rural Road/Bridge for a period of 72 months under component of Mukhya Mantri Gram Sampark Yojana (AWSESH) on selected roads as described in para 9.
- II. Construction of road/bridge may include road safety measures, tree plantation at the end of slope of road within Right of Way, as per contract document. The time of completion for Construction of road/bridge, road safety measures, tree plantation shall be of total 12 months and for Routine Maintenance work (output and performance based) shall be of total 72 months. The total time to be given to the contractor for completing Construction of road/bridge, road safety measures, tree plantation and 06 years Routine Maintenance work (output and performance based) will be 72 months from the date of agreement.
- III. During 06 years Routine Maintenance work (output and performance based), the roads/bridges will be kept as per prescribed service level, to maintain road for traffic worthy. The Maintenance work (output and performance based) will also include cross drainage works, minor works on bridges and roads.
- IV. The Routine Maintenance work will be carried out under output and performance based for which the payment will be done quarterly.
- V. For Rapid Response of Routine Maintenance work each bidder must have a Rapid Road Repair Vehicle.

- VI. Construction of road/bridge, road safety measures and tree plantation on road alignment will be paid on measured quantity to the value of contract.
- VII. There is a requirement for specialized equipment and the contract obligation is for continuous input over the contract period.
- VIII. Bidders are strongly encouraged to download the bidding documents prior to the pre-bid meeting in order for bidders to have a good understanding of the scope of work under this contract for discussion and clarification at the pre-bid meeting. Bidders are also advised to visit each road, be acquainted with the physical condition of road, satisfy themselves and then participate in the bid.

9. Details of Works and Services:

Sl. No.	Package	Description of the Works (CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF ROADS/BRIDGES)		Length (km/m)	Construction cost (in lakh)	Cost of Routine Maintenance for 72 Months Period (in lakh)	Total Amount (in lakh)	Earliest Money/ Bid Security (in lakh)
		From	To					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MMGSY(AWSESH-SC)- ARA-01	Ara Bhakura Road Via Kumhar Toli Path Via Ganjpath Majar Rwd Road	Dhundhua Dalit Basti	1.500	145.985	17.276	163.261	3.27
	Total	1		1.500	145.985	17.276	163.261	3.27
2	MMGSY(AWSESH-SC)- ARA-02	Gajiyapur Bazar	Farhada Durga Mandir	2.000	204.942	17.574	222.516	4.45
		RWD School Padaminiya School	Sohara Bazar	1.200	123.250	12.221	135.471	2.71
	Total	2		3.200	328.192	29.795	357.987	7.16
3	MMGSY(AWSESH-SC)- PIRO-03	Hamath Tola Road	Dihra Pule	1.750	170.373	19.289	189.662	3.79
	Total	1		1.750	170.373	19.289	189.662	3.79
4	MMGSY(AWSESH-SC)- PIRO-04	banuhi Pasi Tola More	Sone River	1.330	120.542	14.736	135.278	2.71
		L024 To Purnara Mahadalit Tola	Phurhara Dalit Tola	0.400	40.003	3.692	43.695	0.87
	Total	2		1.730	160.545	18.428	178.973	3.58
5	MMGSY(AWSESH-SC)- BUXAR-05	Buxar Itarhi Sh	Ijri Mahadalit Tola	2.400	252.318	26.562	278.880	5.58
		Jagdishpur Rwd Road	Harkisanpur Rwd Road	1.000	116.066	12.436	128.502	2.57
	Total	2		3.400	368.384	38.998	407.382	8.148
6	MMGSY(AWSESH-SC)- Dumraon-06	Mohni Yadav Dera, Ramdihia	Prathmik Vidyalay Dhobi Tola Bhadwar	6.500	653.623	87.760	741.383	14.83
	Total	1		6.500	653.623	87.760	741.383	14.83
7	MMGSY(AWSESH-SC)- BiharSharif-07	Jiyar More	Maha Dalit Tola	1.230	120.853	11.339	132.192	2.64
	Total	1		1.230	120.853	11.339	132.192	2.64
8	MMGSY(AWSESH-SC)- BiharSharif-08	Gribpur	Chauhan Tola	1.580	150.451	17.486	167.937	3.36
		Alaudia Village	Alaudia Manjhi Tola	0.430	31.190	1.506	32.696	0.65
	Total	2		2.010	181.641	18.992	200.633	4.01
9	MMGSY(AWSESH-SC)- BiharSharif-09	Masiha Bigla	Paswan Tola	0.550	47.011	1.910	48.921	0.98
	Total	1		0.550	47.011	1.910	48.921	0.98
10	MMGSY(AWSESH-SC)- BiharSharif-10	SII-78 NEAR DIHRA	GOBARIYA	0.850	65.099	8.880	73.979	1.48
	Total	1		0.850	65.099	8.880	73.979	1.48
11	MMGSY(AWSESH-SC)- BiharSharif-11	Dhanawan More	Purvi Dalit Tola Gausnagar	2.780	229.257	28.143	257.400	5.15
	Total	1		2.780	229.257	28.143	257.400	5.15

59	MMGSY(AWSESH-SC)- Mohania-59	Andih Mr Road	Umesh Sagar Rahar Ahildeli	0.536	58.490	5.319	63.807	1.28
		Hatlin Tola Alipur MMGSY ROAD	Tentin	0.590	53.660	5.794	59.454	1.19
	Total	2		1.140	112.150	11.113	123.263	2.47
60	MMGSY(AWSESH-SC)- Nawada-60	Bhabnuli Road	Chadli	2.235	179.361	26.991	206.352	4.13
		Bhabnuli To	Sita Digha	0.950	91.040	12.721	103.761	2.08
	Total	2		3.185	270.401	39.712	310.113	6.20

10. Bid Validity: 180 days.
11. The amount of Earnest money to be deposited are as follows: -
 - (i) For Works Costing up to 10 crore- 2% of Total estimated cost. (Multiple of Rs ,100/-)
 - (ii) For Works Costing more than 10 Crore – Rs. 20 lakhs plus 1% of the excess cost of the total Estimate Cost over and above 10 Crore. (Multiple of Rs. 1000/-)
12. Any Contractor registered with the Central Government / any State Government or any PSU or an agency of national repute may participate in the tender but registration with the Rural Works Department, Bihar will be essential before executing the agreement.
13. Detailed NIT can be seen on website <http://pmgsytendersbih.gov.in>
14. For participating in the above E-tendering process, the contractors shall have to get themselves registered with the service provider so that user ID, password and digital signature are issued to them. This will enable them to access the website <http://pmgsytendersbih.gov.in> and download /participate in E -tender.
15. Bidders/Contractors can access tender documents on the website and must fill them and submit the completed tender documents in electronic form on the website itself. Bidders / Contractors shall attach scanned copies of all required papers, including affidavits and certificates as required in the eligibility criteria. The scanned copies should be of the original papers and certificates only.
16. Corrigendum / Addendum, if any, will be published on the website itself.
17. Bidders will have to declare by affidavit (uploaded along with tender documents) that they have not been declared defaulter, suspended. or blacklisted by any State Government/ Central Government/ Public Undertaking. If such affidavit is subsequently found to be false, their tender shall not be considered and further legal action shall be initiated.
18. The bidder must upload an affidavit stating that the near Relations (defined as first blood relations, and their spouses, of the bidder or the bidder's spouse) of the following departmental officers of the RWD/RCD are not in his/her employment:
JE/AE/EE/SE/CE /Engineer-in-chief & Divisional Accountant.
19. The bidder must produce an affidavit stating that there is no such persons in his employment who have retired as gazetted officer within the last two years from RWD/RCD with following ranks:
JE/AE/EE/SE/CE /Engineer-in-chief & Divisional Accountant.
20. All bidders shall upload Reports on the financial standing of the Bidder, such as profit and loss statements and auditor's reports for the past five years. Audit Reports without UDIN (Unique Document Identification Number) will not be considered.
21. Before uploading tenders, bidders are advised to go through the General Conditions, Particular Conditions and the other conditions of the CMBD for MMGSY (AWSESH) uploaded with the tender document.
22. In compliance of the order passed by Hon'ble Patna High Court, Patna on 06.07.2023 in CWJC No. – 9941/2022, the departmental letter no. 292(WE) dated 17-01-2020 will be applicable i.e. the threshold limit (up to below 10%) has been abolished.
23. Contractor will have to deposit additional performance guarantee for seriously unbalanced rate quoted by bidder at the time of agreement as per RCD Notification No. 447(s)-cum-Memo no. 448 (s). dated 16.01.2020 and RWD letter no. 292 (we), dated 17.01.2020.

37. Under Construction and 06 years Maintenance work (output and performance based) for Rural Road/Bridge under component of Mukhya Mantri Gram Samiksha Yojana (AWSBSH-SC), maximum number of packages awarded in one financial year is limited to 05 (Five) even though the bidder has the available bid capacity as per ITB clause-4.6. In case if substantially responsive bidder is lowest in more than 05 (Five) packages, then 05 (Five) packages shall be awarded as per as ascending order of quoted rate [for example if rate quoted are (-)02%, (-)05%, (-)07%, (-)12%, equal to BOQ rate & (+)1%, then first of all that package shall be awarded to the bidder in which he has quoted (-)12%, (-)07%, (-)05%, then (-)02% and so on].
38. It shall be the responsibility of the bidder to comply with all statutory requirements of Central and State Government.
9. The Total Estimated Cost and Earnest money is indicative and the actual amount of earnest money will be as per uploaded BOQ.
0. Other details can be seen in bidding document.

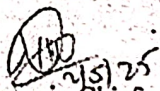

Engineer-in-Chief
Rural Works Department, Govt. of Bihar

MEMO:- BRRDA(HQ)-MMGSY-SC-163/25 - 824

Date:- 02/5/25

Copy to kind information and necessary action to :-

1. Nodal officer, E-advertisement Cum E-tendering cell, RWD, Patna.
2. IT Nodal, RWD, Patna.
3. P.A to Engineer- in- chief, RWD, Patna.
4. Concerned Executive Engineer, RWD (W) Division.


Engineer in Chief